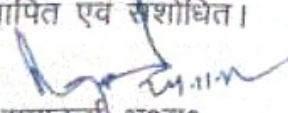
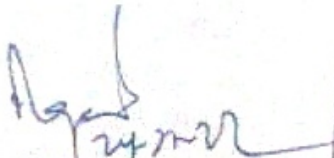


आदेश -- पत्रक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय उप समाहर्ता, भू०सु० सदर मेदिनीनगर। दा०खा० अपील वाद सं०- $\frac{XV}{09}$ / 2016-17 भीम सिंह अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर - बनाम - आदेश अपीलार्थी विपक्षी यह दाखिल खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दाखिल खारीज वाद सं०-45/2016-17 में दिनांक 07.04.2016 का पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी का ग्राम सुदना थाना मेदिनीनगर जिला पलामू का खाता नं०-03 प्लॉट नं०-305 रकबा 09½ डी० भूमि का दाखिल खारीज आवेदन अस्वीकृत किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी जो प्राप्त नहीं हो सका। विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी। अपीलार्थी द्वारा दाखिल खारीज वाद सं०-45/2016-17 में दिनांक 07.04.2016 का पारित आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अपीलार्थी को सुना तथा लिखित बहस का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अनुसार ग्राम सुदना का खाता नं०-03 प्लॉट नं०-305 कुल रकबा 24 डी० भूमि विगत सर्वे में अमर सिंह के नाम से दर्ज थी। अमर सिंह का अपने पीछे दो पुत्रों 1. ब्रह्मदेव सिंह 2. बासुदेव सिंह को छोड़कर निधन हो गया। दोनों भाईयों के बीच आपसी मापतौल कर बंटवारा में आधा हिस्सा अर्थात् 12 डी० भूमि बासुदेव सिंह के हिस्से में मिला बासुदेव सिंह ने अपने हिस्से की भूमि पर आवासीय मकान बनाया एवं शेष भूमि घरवारी के रूप में उपयोग के लिए रखा। बासुदेव सिंह का कोई संतान नहीं था। बासुदेव सिंह का अपने पीछे विधवा महेश्वरी कुंवर को छोड़कर निधन हो। महेश्वरी कुंवर के आवेदन पर अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा 12 डी० भूमि का जमाबंदी कायम हुआ तथा मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा। महेश्वरी कुंवर जब वृद्धावस्था में असहाय हो गयी तो अपीलार्थी उनकी सेवा श्रुषा एवं देखभाल करने लगा। सेवा श्रुषा से प्रसन्न होकर महेश्वरी कुंवर ने बक्सीसनामा दस्तावेज सं०-5100 दिनांक 12.05.2017 के माध्यम से प्रश्नगत प्लॉट में रकबा 09½ डी० भूमि अपीलार्थी को दान द्वारा अंतरित कर दखल कब्जा दे दिया है जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार कर लिया। अंचल अधिकारी द्वारा बिना कारण के अपीलार्थी का दाखिल खारीज अस्वीकृत कर दिया गया है। अपीलार्थी ने आगे दावा किया है कि अंचल अधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि दाखिल खारीज अस्वीकृत किया जाता है क्योंकि प्रश्नगत भूमि का मांग पंजी II में अंकित नहीं है। गलत प्रस्ताव देने के कारण हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से कारण पृच्छा की जाने की बात लिखि गयी है किन्तु कोई कारण पृच्छा नहीं की गयी। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी ने स्वयं अपने दानकर्ता के नाम से निर्गत वर्ष 1990 का सरकारी मालगुजारी रसीद दाखिल किया जिस पर होल्डिंग नं०-534 खाता नं०-03 प्लॉट नं०-305 रकबा 12 डी०	D h m m L-R 2016

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	दर्ज है किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा इस पर न तो विचार किया गया और न प्रश्नगत भूमि का स्थलीय जांच किया गया जबकि दाखिल खारीज के लिए जमाबंदी एवं दखल कब्जा महत्वपूर्ण विन्दु है। अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी को अपीलार्थी के पक्ष में दाखिल खारीज का आदेश पारित करने हेतु आदेश देने का निवेदन किया है। अपीलार्थी द्वारा निबंधित दान पत्र दस्तावेज सं०-5100 दिनांक 12.05.1997 एवं दानकर्ता महेश्वरी कुंवर के नाम से वर्ष 1990-91 का होल्डिंग नं०-534 पर निर्गत मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उनके द्वारा दानकर्ता की जमाबंदी एवं दान की गयी भूमि के दखल कब्जा के विन्दु पर विचार नहीं किया गया है और न अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही दिया गया है जो न्यायहित में नहीं है। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दाखिल खारीज वाद सं०-45/2016-17 में दिनांक 07.04.2016 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर को निदेश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजात पर विचार करते हुए नये सिरे से दाखिल खारीज का आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर को भेजे। इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  उप समाहर्ता, भू०सु० सदर मेदिनीनगर।  उप समाहर्ता, भू०सु०, सदर मेदिनीनगर।